आज समाज २५।९।२६

बच्चों की सुरक्षा एक संस्थान नहीं पूरे समाज की जिम्मेदारी : सेखों

चंडीगढ़। सेक्टर-32 स्थित गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज के ह्यबाल सारथी क्लब की ओर से बिल्डिंग ए सेफ फ्यूचर : यंग वॉयसेज फॉर चाइल्ड राइट्स विषय पर विशेषज्ञ व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को बाल अधिकारों, बच्चों की सुरक्षा, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन यौन शोषण और बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों से बच्चों की सुरक्षा के लिए जागरूक और जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम की शुरूआत पर्यावरण अनुकूल ग्रीन वेलकम के साथ हुई। बाल सारथी क्लब की इंचार्ज डॉ. तरमिंदर कौर ने कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. अजय शर्मा का स्वागत किया। इसके बाद प्रिंसिपल ने मुख्य अतिथि मोहाली एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) की एसपी दीपिका सिंह सेखों, मुख्य वक्ता पंजाब यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज की फैकल्टी एवं डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर (वूमेन) प्रो. नमिता गुप्ता और जीजीडीएसडी कॉलेज सोसायटी के फाइनेंस सेक्रेटरी जतिंदर भाटिया का पौधा देकर स्वागत किया। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. अजय शर्मा ने कहा कि बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता समय की जरूरत है। बच्चों और अन्य संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा केवल किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इसमें अपनी भूमिका निभानी होगी। उन्होंने विद्यार्थियों से बाल अधिकारों और उनकी सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के प्रति संवेदनशील रहने का आह्वान किया।

मुख्य वक्ता प्रो. नमिता गुप्ता ने कहा कि डिजिटल दौर में बच्चों के सामने नई तरह की चुनौतियां भी सामने आई हैं। इनमें साइबर बुलिंग और ऑनलाइन यौन शोषण गंभीर मुद्दे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन (यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड), पॉक्सो एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट-2015 के तहत बच्चों को मिले अधिकारों और कानूनी संरक्षण की जानकारी दी।

उन्होंने विद्यार्थियों को बच्चों के साथ होने वाली किसी भी संदिग्ध या उत्पीड़न की घटना पर चुप नहीं रहने की सलाह दी। उन्होंने ह्यसी, अटेंड, रेफर एंड इन्फॉर्मह्न यानी स्थिति को देखना, ध्यान देना, उचित स्तर तक पहुंचाना और संबंधित अधिकारियों को सूचना देने की प्रक्रिया अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने जरूरत पड़ने पर चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद लेने के लिए भी प्रेरित किया। विशेषज्ञों से बाल सुरक्षा और अधिकारों से जुड़े सवाल पूछे। विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों के सवालों के जवाब देते हुए उन्हें कानूनी प्रावधानों और व्यावहारिक सुरक्षा उपायों की जानकारी दी।

अर्थ प्रकाश २५/९/२६

बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता जरूरी, साइबर खतरे समझना भी अहम

जीजीडीएसडी कॉलेज में बाल अधिकारों पर विशेषज्ञ व्याख्यान आयोजित, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन शोषण से बचाव के गुर बताए

अर्थ प्रकाश संवाददाता

चंडीगढ़। सेक्टर-32 स्थित गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज के 'बाल सारथी' क्लब की ओर से 'बिल्डिंग ए सेफ फ्यूचर = यंग वॉयसेज फॉर चाइल्ड राइट्स' विषय पर विशेषज्ञ व्याख्यान आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में विद्यार्थियों को बाल अधिकारों, बच्चों की सुरक्षा, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन यौन शोषण और बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों से बच्चों की सुरक्षा के लिए जागरूक और जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम की शुरुआत पर्यावरण अनुकूल 'ग्रीन वेलकम' के साथ हुई। बाल सारथी क्लब की इंचार्ज डॉ. तरमिंदर कौर ने कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. अजय शर्मा का स्वागत किया। इसके बाद प्रिंसिपल ने मुख्य अतिथि मोहाली एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) की एसपी दीपिका सिंह सेखों, मुख्य वक्ता पंजाब यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज की फैकल्टी एवं डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर (वूमेन) प्रो. नमिता गुप्ता और जीजीडीएसडी कॉलेज सोसायटी के फाइनेंस सेक्रेटरी जतिंदर भाटिया का पौधा देकर स्वागत किया।

कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. अजय शर्मा ने कहा कि बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता समय की जरूरत है। बच्चों और अन्य संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा केवल किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इसमें अपनी भूमिका निभानी होगी। उन्होंने विद्यार्थियों से बाल अधिकारों और उनकी सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के प्रति संवेदनशील रहने का आह्वान किया।

मुख्य वक्ता प्रो. नमिता गुप्ता ने कहा कि डिजिटल दौर में बच्चों के सामने नई तरह की चुनौतियां भी सामने आई हैं।

दैनिक सवेरा २५/९/२६

बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता जरूरी

जीजीडीएसडी कॉलेज में बाल अधिकारों पर विशेषज्ञ व्याख्यान आयोजित

सवेरा न्यूज/नीना

चंडीगढ़, 23 सितंबर : जीजीडीएसडी कॉलेज सैक्टर 32 के बाल सारथी क्लब की ओर से बिल्डिंग ए सेफ फ्यूचर यंग वॉयसेज फॉर चाइल्ड राइट्स विषय पर विशेषज्ञ व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को बाल अधिकारों, बच्चों की सुरक्षा, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन यौन शोषण और बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम की शुरु आत पर्यावरण अनुकूल 'ग्रीन वेलकम' के साथ हुई। बाल सारथी क्लब की इंचार्ज डॉ. तरमिंदर कौर ने कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. अजय शर्मा का स्वागत किया। इसके बाद प्रिंसिपल ने मुख्य अतिथि मोहाली एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) की एसपी दीपिका सिंह सेखों, मुख्य वक्ता पंजाब यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज की फैकल्टी एवं डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर (वूमेन) प्रो. निमता गुप्ता और जीजीडीएसडी कॉलेज सोसायटी के फाइनेंस सचिव जतिंदर भाटिया का पौधा देकर स्वागत किया। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. अजय शर्मा ने कहा कि बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता समय की जरूरत है।

जागरूकता सत्र में हिस्सा लेते छात्र।

मुख्य वक्ता प्रो. निमता गुप्ता ने कहा कि डिजिटल दौर में बच्चों के सामने नई तरह की चुनौतियां भी सामने आई हैं। मुख्य अतिथि एसपी दीपिका सिंह सेखों ने कहा कि बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें छोटी उम्र से ही अपने आसपास के खतरे पहचानने के लिए तैयार करना जरूरी है।

दिव्य हिमाचल २५/९/२६

एसडी कालेज में साइबर क्राइम वर्कशॉप

चंडीगढ़। कार्यक्रम के दौरान मुख्यातिथि डा. तरमिंदर कौर को सम्मान

चंडीगढ़। सेक्टर-32 स्थित गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज के बाल सारथी क्लब की ओर से बिल्डिंग, सेफफ्यूचर, यंग वॉयसेज फॉर चाइल्ड राइट्स विषय पर विशेषज्ञ व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को बाल अधिकारों, बच्चों की सुरक्षा, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन यौन शोषण और बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों से बच्चों की सुरक्षा के लिए जागरूक और जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम की शुरुआत पर्यावरण अनुकूल ग्रीन वेलकम के साथ हुई। बाल सारथी क्लब की इंचार्ज डा. तरमिंदर कौर ने कालेज के प्रिंसीपल डा. अजय शर्मा का स्वागत किया। इसके बाद प्रिंसीपल ने मुख्यातिथि मोहाली एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स एजीटीएफ की एसपी दीपिका सिंह सेखों, मुख्य वक्ता पंजाब यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज की फैकल्टी एवं डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर वूमन प्रो. नमिता गुप्ता और जीजीडीएसडी कॉलेज सोसायटी के फाइनेंस सेक्रेटरी जतिंदर भाटिया का पौधा देकर स्वागत किया।

पंजाब केसरी 24/9/26

जागरूक किया | साइबर बुलिंग और ऑनलाइन शोषण से बच्चों को बचाने के बताए उपाय

बाल सारथी क्लब के विशेषज्ञ व्याख्यान में बाल अधिकारों और कानूनी प्रावधानों की दी जानकारी

चंडीगढ़, 23 सितम्बर (आशीष): सैक्टर-32 स्थित गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज के बाल सारथी क्लब की ओर से 'बिल्डिंग ए सेफ फ्यूचर : यंग वॉयसेज फॉर चाइल्ड राइट्स' विषय पर विशेषज्ञ व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को बाल अधिकारों, बच्चों की सुरक्षा, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन यौन शोषण और बच्चों से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।

विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों से बच्चों की सुरक्षा के लिए जागरूक और जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम की शुरुआत पर्यावरण अनुकूल ग्रीन वेलकम के साथ हुई। बाल सारथी क्लब की इंचार्ज डॉ. तरमिंदर कौर ने प्रिंसिपल डॉ. अजय शर्मा का स्वागत किया।

प्रिंसिपल ने मुख्य अतिथि मोहाली एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स की एस.पी. दीपिका सिंह सेखों, मुख्य वक्ता पंजाब यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज की फैकल्टी एवं डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर (वूमेन) प्रो. नमिता गुप्ता तथा कॉलेज सोसायटी के फाइनेंस सैक्रेटरी जतिंदर भाटिया का पौधा भेंट कर स्वागत किया।

छोटी उम्र से खतरे पहचानना सिखाएं

मुख्य अतिथि एस.पी. दीपिका सिंह सेखों ने कहा कि बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें छोटी उम्र से ही आसपास के संभावित खतरों को पहचानने के लिए तैयार करना जरूरी है। उन्होंने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जागरूक करने पर जोर दिया। उन्होंने पंजाब पुलिस की महिला मित्र पहल की जानकारी देते हुए बताया कि इसके तहत स्कूलों में जाकर बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न तथा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के प्रति जागरूक किया जाता है। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर जागरूकता बढ़ाकर बच्चों को संभावित खतरों से बचाने में मदद मिल सकती है। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने विशेषज्ञों से बाल सुरक्षा और अधिकारों से जुड़े सवाल पूछे। विशेषज्ञों ने उनके सवालों के जवाब देते हुए कानूनी प्रावधानों और व्यावहारिक सुरक्षा उपायों की जानकारी दी। अंत में बाल सारथी क्लब की इंचार्ज डॉ. तरमिंदर कौर ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ किसी भी संदिग्ध या उत्पीड़न की घटना होने पर चुप नहीं रहना चाहिए और जरूरत पड़ने पर चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद लेनी चाहिए।

बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता जरूरी

सीनेटर प्रिंसिपल डॉ. अजय शर्मा ने कहा कि बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता समय की जरूरत है। बच्चों और अन्य संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा केवल किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इसमें अपनी भूमिका निभानी होगी। उन्होंने विद्यार्थियों से बाल अधिकारों और उनकी सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के प्रति संवेदनशील रहने का आह्वान किया। मुख्य वक्ता प्रो. नमिता गुप्ता ने कहा कि डिजिटल दौर में बच्चों के सामने नई तरह की चुनौतियां सामने आई हैं। साइबर बुलिंग और ऑनलाइन यौन शोषण इनमें गंभीर मुद्दे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन, पॉक्सो एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट-2015 के तहत बच्चों को मिले अधिकारों और कानूनी संरक्षण की जानकारी दी।